20/9/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। मेरे द्वारा वादीगण तथा। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त भूमियों में वादीगण का नाम निम्न प्रकार गलत दर्ज है:-

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम	खाता सं0	दर्ज नाम
1	भूदोली	177	1 प्रभु पुत्र गुटा 2 मुलचन्द पुत्र गुटा 3 सन्तोष पुत्र गुटा 4 लालचन्द पुत्र गुटा
2		165	1 प्रभु पुत्र गुटा 2 मुलचन्द पुत्र गुटा 3 सन्तोष पुत्र गुटा 4 लालचन्द पुत्र गुटा
3		181	1 प्रभु पुत्र गुटटाराम 2 मुलया पुत्र गुटटाराम 3 सन्तु पुत्र गुटटाराम 4 लालया पुत्र गुटटाराम
4		180	1 प्रभु पुत्र गुटटाराम 2 मुलया पुत्र गुटटाराम 3 सन्तु पुत्र गुटटाराम 4 लालया पुत्र गुटटाराम
5		190	1 प्रभु पुत्र गुटा 2 मुलया पुत्र गुटा 3 सन्तु पुत्र गुटा 4 लालया पुत्र गुटा
6		469	1 प्रभु पुत्र गुटा 2 मुलपा पुत्र गुटा 3 सन्तु पुत्र गुटा 4 लालपा पुत्र गुटा

जबकि इनके सही नाम क्रमश: 1.प्रभुदयाल पुत्र गुटाराम 2.मूलचन्द पुत्र गुटाराम 3.सन्तोष कुमार पुत्र गुटाराम 4.रामलाल पुत्र गुटाराम है वादीगण के समस्त दस्तावेजात में वादीगण का सही नाम इसी अनुसार है। परन्तु वादग्रस्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे सहवन से वादीगण का गलत नाम उपरोक्त टेबिल अनुसार गलत दर्ज हो गया। अत: वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मे वादीगण का सही नाम 1.प्रभुदयाल पुत्र गुटाराम 2.मूलचन्द पुत्र गुटाराम 3.सन्तोष कुमार पुत्र गुटाराम 4.रामलाल पुत्र गुटाराम दुरुस्त किया जावें। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिया पेश की। व बतौर साक्ष्य वादीगण ने स्वय के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम उपरोक्त टेबिल अनुसार अंकित है। वादी का कथन कि वादीगण के सही दस्तावेजी नाम 1. प्रभुदयाल पुत्र गुटाराम 2.मूलचन्द पुत्र गुटाराम 3.सन्तोष कुमार पुत्र गुटाराम 4.रामलाल पुत्र गुटाराम है की पुष्टि आधार कार्ड, राशन कार्ड व बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये स्वयं वादीगण के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्रों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भूदोली पटवार हल्का भूदोली स्थित भूमि खाता सं0 177, 165, 181, 180, 190, 469 में दर्ज खातेदार वादीगण के नाम टेबिल –अ अनुसार दुरुस्त एवं दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। टेबिल –अ निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:42:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner